कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) शिक्षा विभाग,जोधपुर

–:: कार्यालय आदेश ::–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/17–18 दिनाक 22.02.2018, दिनांक 25.02.2018 दिंनाक 28.02.2018 एंव 07.03.18 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम –2017 के अनुसार पे–मैट्रिक लेवल 05 पद पर चयनोपरान्त राजस्थान सेवा नियम एंव राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानो के अनुसार नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित आशार्थियों को लिपिक ग्रेड–द्वितीय (कनिष्ठ सहायक). पद पर वेतन राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिंनाक 30.10.2017 के अनुसूची 4 नियम 17 में अंकित पै मेट्रिक्स के लेवल–05 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 14600/–पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विधालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(6) एफडी (नियम)/05 दिनांक 13.03. 2006 के प्रावधानानुसार नियंत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी। इन्हे दिनांक 27.03.2018 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। यह नियुक्ति माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण करावाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करे :–

9. इन अभ्यर्थियो की शैक्षिक योग्यता,प्रशैक्षिणिक योग्यता (कम्प्युटर संबधी) आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसुचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ओबीसी/विकंलाग आदि) के संबध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपनी संतुष्टि कर ले की अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित समस्त दस्तावेजो की सत्य प्रतियां आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें साथ ही यह भी सुनिशिचित कर ले की मूल आवेदन पत्र में अंकित नाम के अनुसार ही नियुक्ति पत्र जारी किया हुआ है। इन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी संबधित सेवा नियम राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अर्न्तगत एंव विज्ञापन में दर्शायी गई शर्तो यथा आयु,वर्ग (कैटेगरी) एंव योग्यता का उनके समस्त मूल प्रमाण,पत्रों से एंव उनके आवेदन पत्रों की प्रविष्टियों से मिलान का उत्तरदायित्व संबधित संस्थाप्रधान का होगा।
10. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एंव दो से अधिक संतान नही होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिंनाक 24.02. 2011 एंव दिंनाक 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ति करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावें।
11. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ Attestation Form नही है तो अपने स्तर पर Attestation Form भरवाकर प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करें। आचरण की जॉच का इंतजार नही किया जावें। आचरण के पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। साथ ही अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी एसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लायी जावेगी। यदि किसी अभ्यर्थी की उनको पूर्व में आंवटित विभाग द्वारा जॉच करवा ली गई है तथा जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत है तो उनका पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक नही है।
12. वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/दिशा निर्देशों के अनुसरण में सेवाओ में नियुक्ति 'नियमानुसार प्रदान की जाती है संबधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर यह भी जॉच कर लेवे की –:
    4. ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो एंव यह भी प्रमाणित किया गया हो की अंपवर्जनकाक नियम इन पर लागू नही होता है अर्थात अनुसूची

में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नही है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नही होना चाहिये। यदि काई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को लौटा दिये जावें ताकि उनकी पात्रता सामान्य वर्ग के रूप में ऑकी जाने हेतु निदेशालय बीकानेर के माध्यम से आयोग को अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटाया जा सके।

5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एंव पति के आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नही है, अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर उनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को लौटा दिये जावें ताकि उनकी पात्रता सामान्य वर्ग के रूप में ऑकी जाने हेतु निदेशालय बीकानेर के माध्यम से आयोग को अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटाया जा सके।

6. उक्त अभिस्तावना के अर्न्तगत भरतपुर, धोलपुर के जाट जाति के ओबीसी वर्ग के आवेदन पत्र अभिस्तावित नही किये गये है। यदि ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त हो गया हो तो इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को लौटा दिये जावें ताकि उनकी पात्रता सामान्य वर्ग के रूप में ऑकी जाने हेतु निदेशालय बीकानेर के माध्यम से आयोग को अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटाया जा सके।

13. इन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के स्वास्थय की जॉच प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से जारी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाया जावे।

14. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नही करने पर उनका आवेदन पत्र तत्काल इस कार्यालय को लौटाया जावें तथा कार्यग्रहण नही करने की सूचना भी आवेदन पत्र के साथ ही भिजवायी जावें।

15. इन्हे कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधता (undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।

16. इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रस्तुत करते हुए शाला दर्पण में इनकी प्रविष्टियां अपडेट करेंगे।

17. **विशेष–: उक्त सभी अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश बगैर प्रमाण पत्रों के जॉच के ही जारी किये गये है अतः संबधित संस्थाप्रधान आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबधित अभ्यर्थी अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन पत्रों एंव प्रमाण पत्रों की जॉच की कार्यवाही सुनिशिचित करावें। आवेदन पत्रों की जॉच के सत्यापन उपरांत कार्यग्रहण कार्यवाही सुनिश्चित करें।**

(रामेश्वर प्रसाद जोशी)
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक :– जिशिअ/माध्य/जोध/संस्था–स/नियुक्ति/कसहा–2013/2018/1010 दिनांक :– 12/03/18

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सयुक्त शासन सचिव,प्रशासनिक सुधार(ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर ।
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,जोधपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–द्वितीय) शिक्षा विभाग,जोधपुर।
7. संबंधित संस्था प्रधान...।
8. संबंधित आशार्थी ....।
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
10. रक्षक/निजी पत्रावली।

(रामेश्वर प्रसाद जोशी)
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम शिक्षा विभाग जोधपुर

क्रमांक–: जिशिअ / माध्य–I / जोध / संस्था–स / 2018 / 1010 दिनाक 12.03.2018

पदस्थापन आदेश

क्र स	मेरिट संख्या	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	3155	आर्यन सोनी	सोहन लाल सोनी	11-09-88	SB	राआउमावि रिडमलसर, बापिणी (जोधपुर)
2	3392	कुलदीप विश्नोई	भागीरथ राम	28-06-94	BC	राआउमावि घंटियाली, बाप (जोधपुर)
3	3828	महेश टाक	जगाराम टाक	15-02-94	BC	राआउमावि इन्दो का बास , बापिणी (जोधपुर)
4	4314	पूजा	प्रेम सिंह	20-03-81	BC WE	राउमावि रोहिणा बाप (जोधपुर)
5	4637	तिलोकाराम भाटी	श्रवण राम	01-07-85	SC	राउमावि राइमलवाडा, बापिणी (जोधपुर)
6	5348	जोगेन्द्र जीनगर	तारा चंद	01-08-88	SC	राउमावि बारनाउ सेखाला, (जोधपुर)
7	5627	भागीरथ	ओगडराम	04-01-84	SC	राउमावि चॉदरख, औसिया (जोधपुर)
8	5844	मोतीलाल कन्नौजिया	ताराचंद	01-01-91	SC	राउमावि ढांढणिया भायला,बालेसर (जोधपुर)
9	5911	सुभाष चन्द	गणेश राम	10-04-89	SC LD	राआउमावि मोखेरी फलौदी (जोधपुर)

(रामेश्वर प्रसाद्र जोशी)
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम
शिक्षा विभाग जोधपुर